न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी (अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट) बांसवाड़ा (राजस्थान)
पीठासीन अधिकारी – अभिषेक गोयल, RAS

प्रकरण संख्या : 95/2024
रजिस्ट्रेशन नं. : 2024/111

राजस्थान राज्य जरिये खाद्य सुरक्षा अधिकारी बॉसवाडा (राज) **बनाम**

अभियुक्त :–
श्री महेन्द्र कुमार दरजी पुत्र श्री पन्नालाल, निवासी बस्सी आडा, गनोडा, बांसवाडा (विक्रेता/मालिक) मैसर्स प्रीत एन्टरप्राइजेज, बस्सी आडा, गनोडा, बांसवाडा (राज.)

## अपराध अन्तर्गत धारा 26 की उपधारा 2(ii) खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006, नियम 2011

## निर्णय

दिनांक 09–12–2024

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि **श्री शशिकान्त शर्मा** खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी बॉसवाडा (राज.) के द्वारा दिनांक **16–10–2024** को यह प्रकरण इस आशय का पेश किया गया कि दिनांक **03–07–2024** को बाहैसियत खाद्य सुरक्षा अधिकारी खाद्य पदार्थो की जाँच हेतु 4.00 पी.एम. बजे **मैसर्स प्रीत एन्टरप्राइजेज, बस्सी आडा, गनोडा, बांसवाडा** पर पहुंचा। इस समय संस्थान पर **श्री महेन्द्र कुमार दरजी पुत्र श्री पन्नालाल** उपस्थित थे। **मैसर्स प्रीत एन्टरप्राइजेज, बस्सी आडा, गनोडा, बांसवाडा** का निरीक्षण करने पर दुकान में **मूग मोगर (लूज) एक कट्टे में लगभग 15 किग्रा** रखा पाया। जिसको एफ.एस.एस.ए के तहत देखने पर मानक स्तर का नही होने का शक होने पर **मूग मोगर (लूज)** जाँच हेतु विक्रेता को गवाहान की उपस्थिति में फार्म नं.5ए पर सूचना देते हुए **मूग मोगर (लूज) 2 किग्रा वास्ते नमूना जाँच हेतु क्रय कर** इनकी कीमत 480/– रु. विक्रेता को चुका कर रसीद प्राप्त की। जिस पर विक्रेता तथा गवाहान के हस्ताक्षर करवाये एवं तस्दीक की। नमुना जॉच हेतु खरीदशुदा **मूग मोगर (लूज) 2 किग्रा को साफ सुखे प्लास्टिक के जारो में बराबर बराबर मात्रा में भरकर एयर टाईड ढक्कन बंद कर, चार नमूना भाग तैयार कर प्रत्येक भाग** पर तैयार किये गये लेबल, जिस पर डी.ओ एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बॉसवाडा का कोड क्रमांक **W-1859** प्रत्येक नमूना भाग पर चिपकाकर प्रत्येक नमूना भाग को धागे से बांध कर नियमानुसार सील चपडी किया गया।

न्याय निर्णयन अधिकारी
(अति.जिला कलक्टर)
बांसवाड़ा (राज.)

Signature Not Verified
Digitally signed by Abhishek Goyal
Reason: SelfAttested

प्रत्येक नमूना भाग पर मालिक एवं गवाह के हस्ताक्षर करवाये। सील बंद नमूनो पर गवाहो के हस्ताक्षर कराकर नमूने का सम्पूर्ण विवरण लिखकर हस्ताक्षर कर चारो नमूना भागो को अपने कब्जे में लिया। एक नमूना मय फार्म न. 6 की एक प्रति आउटर कवर में चपडी से सील मोहर कर, दो फार्म न. 6 की प्रति अलग से एक लिफाफा में बन्द कर, चपडी से सील मोहर कर दो सीलबन्द नमूना तथा शेष नमूने का चौथा भाग मय फार्म नं. 6 की प्रतिया आउटर कवर में चपडी से सील बन्द कर, सील मोहर कर अभिहित अधिकारी खाद्य सुरक्षा एवं मुख्य चिकि. एवं स्वा. अधिकारी, बॉसवाडा एवं खाद्य विश्लेषक, जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला बॉसवाडा को जमा करवाया।

अभिहित अधिकारी खाद्य सुरक्षा एवं मुख्य चिकि. एवं स्वा. अधिकारी, बॉसवाडा के पत्रांक एफ.एस.एस.ए/2024/386 दिनांक 26—07—2024 एव खाद्य विश्लेषक, जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला बॉसवाडा से प्राप्त जांच रिपोर्ट क्रमांक 757 दिनांक 16—07—2024 अनुसार विक्रेता से वास्ते नमूना जांच हेतु क्रय किया गया **मूग मोगर (लूज)** का नमुना कोड क्रमांक **W-1859** Substandard food under section 3(1)(zx) of food safety and standerds act 2006 है। विक्रेता द्वारा निर्धारित अवधि में पुनः जांच हेतु कोई आवेदन प्रस्तुत नही किया है। विक्रेता द्वारा **मूग मोगर (लूज)** का विक्रय कर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) का उल्लंघन किया है जिस पर उक्त अधिनियम की धारा 51 के अन्तर्गत जुर्माने से दण्डित करने निवेदन किया।

प्रकरण दिनांक 17—10—2024 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर आरोपी को जरिये समन तलब किया गया।

09—12—2024 को अप्रार्थी ने उपस्थित होकर परिवाद में अंकित आरोपो को स्वीकार कर नरमी का रुख अपनाकर न्यूनतम अर्थ दण्ड से दण्डित करने निवेदन किया।

अभिहित अधिकारी खाद्य सुरक्षा एवं मुख्य चिकि. एवं स्वा. अधिकारी, बॉसवाडा के पत्रांक एफ.एस.एस.ए/2024/386 दिनांक 26—07—2024 एव खाद्य विश्लेषक, जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला बॉसवाडा से प्राप्त जांच रिपोर्ट क्रमांक 757 दिनांक 16—07—2024 अनुसार विक्रेता से वास्ते नमूना जांच हेतु क्रय किया गया **मूग मोगर (लूज)** का नमुना कोड क्रमांक **W-1859** Substandard food under section 3(1)(zx) of food safety and standerds act 2006 है। इस प्रकार प्रकरण का अंतिम निस्तारण किया जाना हम उचित समझते है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Abhishek Goyal
Date: 2025.01.23 12:44:30 IST
Reason: SelfAttested

न्याय निर्णयन अधिकारी
(अति.जिला कलक्टर)
बांसवाड़ा (राज.)

अतः खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 3(1)(zx) के तहत Substandard एवं मूंग मोगर खुला बेचना खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम में वर्जित है। विक्रेता ने **मूंग मोगर (लूज)** को विक्रय करके खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 व नियम 2011 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) का उल्लंघन किया है। जिसका जुर्माना खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम–2006 की धारा 51 में निर्धारित है। अतः आरोपी को दोष सिद्ध घोषित किया जाकर अप्रार्थी **श्री महेन्द्र कुमार दरजी पुत्र श्री पन्नालाल, निवासी बस्सी आडा, गनोडा, बांसवाडा (विक्रेता/मालिक) मैसर्स प्रीत एन्टरप्राइजेज, बस्सी आडा, गनोडा, बांसवाडा (राज.) को 3000/– (अक्षरे रू तीन हजार मात्र) से दण्डित कर** खाद्य सुरक्षा एवं मानक नियम 2011 के 3.1.2 के बिन्दू संख्या 3 में उल्लेखित आय मद 0210–चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य, 04–लोक स्वास्थ्य, 800–अन्य प्राप्तियां, (03)–खाद्य सुरक्षा कानून के अन्तर्गत अनुज्ञा–पत्र शुल्क आदि में उक्त जुर्माना राशि तीन दिवस में राजकोष में जमा कराकर चालान की प्रति इस न्यायालय में पेश करने आदेश जारी किये।

निर्णय आज दिनांक 09–12–2024 खुले न्यायालय सुनाया गया।

न्याय निर्णयन अधिकारी (अति. जिला कलेक्टर) बांसवाड़ा (राज.)

( अभिषेक गोयल )
न्याय निर्णयन अधिकारी
न्याय निर्णयन अधिकारी (अति. जिला कलेक्टर)
(अति0 जिला मजिस्ट्रेट)
बांसवाड़ा (राज.)

Signature Not Verified
Digitally signed by Abhishek Goyal
Date: 2025.01.23 12:44:30 IST
Reason: SelfAttested